छत्तीसगढ़

व्यवहार न्यायाधीश

मुख्य परीक्षा वर्ष - 2020

समय : 3 घण्टे **पूर्णांक : 100**

Missing question

(vi) यह तर्क भी दिया गया था कि चूँकि प्रतिवादी ने वादग्रस्त प्रॉमिसरी नोट प्र. पी. 1 का निष्पादन स्वीकार किया है और प्र.पी. 1 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं, इसलिए धारा 118 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटस अधिनियम के अंतर्गत उपधारणा वादी के पक्ष में है।

तर्क प्रतिवादी :

(vii) प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया कि उसने वादी के द्वारा किए गए

अभिवचनों के अनुसार 25,000 /- रुपये प्राप्त नहीं किए थे और उसके हस्ताक्षर वादी ने कोरे प्रॉमिसरी नोट्स पर चिट राशि के पुनर्भुगतान की सुरक्षा करवायी थी। वह चिट संव्यवहार के पेटे बकाया सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर चुका है लेकिन वादी और उसके मित्र सम्पथ ने वादग्रस्त प्रॉमिसरी नोट उसे वापस लौटाने से इंकार कर दिया ।

2. निम्नलिखित का सावधानी से पठन करें तथा आरोप निर्मित करके निर्णय लिखें : [40]

दिनांक 30.09.2013 को राजकुमारी मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक, बिलासपुर के कार्यालय में काम पर थी। उसने उक्त तिथि को ट्रेनों में आरक्षण करने के विरुद्ध नकद एवं व्हाउचर के रूप में रुपये 1,77,560 (एक लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ साठ) की धनराशि प्राप्त की थी, किन्तु उसने उक्त धनराशि को जमा नहीं किया। अगले दिन 01.10.2013 को 10:30 बजे पूर्वान्ह जब नकद की तुलना की गयी, रुपये 1,77,560 (एक लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ साठ) की धनराशि को कम पाया गया। राजकुमारी से पूछने पर उसने कहा कि बीती रात अपने काम से निवृत्त होने के बाद उसने अपने साथी महेश जो काउंटर संख्या 13 पर कार्यरत था, को रुपये 1,77,560 (एक लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ साठ) की नकद धनराशि को सौंपा था, लेकिन महेश भी धनराशि जमा करना भूल गया। 01.10.2013 को

प्रातः कालीन पाली में रोशनी काउंटर संख्या 13 पर कार्यरत थी। सी.सी.टी.व्ही. की फुटेज से यह पाया गया कि 9:58 बजे पूर्वान्ह काउंटर संख्या 13 की दराज से रोशनी ने धन निकाला तथा लाल कपड़े में धन लपेटते हुए वह उसी को अपने साथ लेकर काउंटर से बाहर निकली तथा कार्यालय के बाहर चली गयी। वीरेन्द्र सिंह द्वारा रिपोर्ट की गयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीकृत किया गया। अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि उस धन में से रोशनी ने रुपये 1,69,665 (एक लाख उन्नहत्तर हजार छह सौ पैसठ) रागनी को छिपाने के लिए दिया था। रागनी के ज्ञापन कथन के आधार पर उससे रुपये 1,69,665 (एक लाख उन्नहत्तर हजार छह सौ पैसठ) नकद अभिग्रहित किया गया। अन्वेषण पूरा होने के बाद रोशनी एवं रागनी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रतिरक्षा का यह तर्क था कि उन्हें इस मामले में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है।

अभियोजन ने रिपोर्टकर्ता वीरेन्द्र सिंह (अ० सा०1), महेश (अ०सा०2), राजकुमारी (अ० सा०3) एवं किशनकुमार (अ०सा०4), जिससे सी.सी.टी.व्ही. फुटेज वाले हार्डडिस्क को अभिग्रहित किया गया था, साक्षी (अ०सा०5) एवं (अ०सा०6) जिनके समक्ष रोशनी एवं रागनी के मेमोरेंडम कथन अभिलिखित किए गए थे तथा धनराशि अभिग्रहित की गयी थी एवं मामले के अनुसंधान अधिकारी (अ०सा०7) के कथन कराये गये हैं।

3. (i) निम्नलिखित हिन्दी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए : [10]

Translate the following Hindi passage into English: [10]

(a) मोटे तौर से साक्षी से इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि उसकी स्मरण शक्ति फोटोजनिक होगी और वह घटना के ब्यौरे को स्मरण कर लेगा।

(b) साक्षी उस घटना के बारे में पहले से अनुमान नहीं लगा सकता जिसमें प्रायः आश्चर्य का तत्व मौजूद रहता है। इसलिए मानसिक क्षमताओं के सम्बन्ध में इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि वे ब्यौरे को आत्मसात् करने में समर्थ होंगे।

(c) परीक्षण की शक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। जिस बात की ओर कोई एक व्यक्ति ध्यान दे सकता है, दूसरा व्यक्ति उस ओर ध्यान नहीं दे सकता।

(d) मोटे तौर से लोग किसी बातचीत को परिशुद्धता के साथ स्मरण नहीं रख सकते और जिन शब्दों का उन लोगों ने उपयोग किया था या उन्होंने सुना था, उसे अविकल रूप से बता नहीं सकते।

(e) मामूली तौर से साक्षी से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह ऐसे घटना क्रम को परिशुद्धता के साथ स्मरण कर सकेगा जो कि तेजी के साथ घटती है या जो थोड़े समय में घट जाती है।

(ii) निम्नलिखित अंग्रेजी गद्यांश का हिन्दी में अनुवाद कीजिए : [10]

Translate the following English passage into Hindi:

Once in a claim petition filed by the other claimant arising out of the same accident, it has been held that Insurance Company is liable to indemnify the owner and is jointly and severally liable to pay compensation, then the said finding would be binding. Only if any new evidence is led by parties, only then it would be possible for the Claims Tribunal to give a finding at variance with the findings recorded in earlier claim petition arising out of same accident. https://www.pyqonline.com

Non-bringing the legal representatives of the deceased driver of the offending vehicle do not affect adversely the petition. It does not result in abatement of the claim petition in toto because the owner of the offending vehicle is made vicariously liable for the act of his employee, i.e. driver, therefore, once it is held that the driver of the offending vehicle was rash and negligent and was responsible for the accident, then the owner of the vehicle would automatically become liable to pay compensation for the rash and negligent act of his driver. For the purpose of payment of compensation, the owner of the offending vehicle can be kept in the category of legal representative of the driver.